न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/25/2024 रजू दिनांकः 11.03.2024 रजि0 न0 2024/58

अपीलार्थीः–
श्री निरंजन लाल पुत्र श्री लालचन्द, निवासी ग्राम आनन्दपुर पिनकोड–301704 जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 01.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 19.03.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/472 दिनांक 26.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 16.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा जरिये ऑनलाईन पत्र सं0 2761803425 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में आवेदन सं0 293330571623305 दिनांक 16.05.2023 में वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर के नियंत्रणाधीन होने के कारण, उन्हीं के कार्यालय में संपर्क/आवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत, अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय किया जाकर ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 2761803425 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)